Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revesion No.- 07/2021

Kahkasan Begum.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

Web Copy . Not Official.

	18.04.2023	**<u>आदेश</u>** प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा वाद सं0–05/2020–21 में दिनांक–05.01.2021 को पारित आदेश तथा पत्रांक–32, दिनांक–06.01.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना पोठिया, किशनगंज ग्राम–रतनपुर, पंचायत–पनासी में केन्द्र सं0–201 में आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु विज्ञापन के आधार पर आवेदिका एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। उक्त चयन हेतु मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में दिनांक–12.02.2020 को आम सभा आयोजित की गई। मेधा सूची में कुल छः अभ्यर्थियों में आवेदिका कहकसां बेगम प्रथम स्थान पर थी। दूसरे स्थान पर शादिका बानो जो दूसरे पंचायत की रहने वाली थी, पर कोई विचार नहीं किया गया। तृतीय मेधा क्रम की अभ्यर्थी वकीला बानो जिसका दो भिन्न शिक्षा बोर्ड से अलग–अलग जन्म तिथि पाये जाने के बावजूद इसका चयन कर लिया गया। आवेदिका कहकसां बेगम एक विकलांग महिला होने के बावजूद आवेदन में विकलांग्ता नहीं दर्शाने के कारण इसका लाभ नहीं दिया गया, परन्तु दूसरी तरफ वकीला बानो को विधवा बोनस अंक दिया गया, जबकि आवेदन में विधवा का प्रमाण नहीं लगाकर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया गया। वकीला बानो के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक–10.02.2011 को निर्गत किया गया, जबकि आम सभा 09.07.2020 को सम्पन्न हुई। इस प्रकार विधवा प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद वकीला बानो का चयन किया जाना नियम क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 18.04.2023	के विरूद्ध है। वकीला बानो वर्ष 2003 से ही ग्राम पंचायत पनासी में सहायिका पद पर कार्यरत थी तथा सेविका/सहायिका चयन के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र के रूप में स्टेट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री ऐजुकेशन माध्यमिक परीक्षा 1996 में उत्तीर्णता प्राप्त करते हुए संलग्न की है तथा वर्ष 2007 में मदरसा बोर्ड से फोकनिया की परीक्षा पास की है। वकीला बानो 2007 में फोकनिया की परीक्षा सहायिका पद पर कार्यरत रहते हुए बिना अवकाश के नियमित छात्रा	

Web Copy. Not Official.

		के रूप में पास की है। जबकि सहायिका पद पर कार्यरत रहने के बाद उक्त परीक्षा में सम्मलित होने के लिए अवकाश का आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में देने का प्रावधान है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में चयनित सेविका के चयन को रद्द करते हुए आवेदिका अपने चयन हेतु प्रार्थना की है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–04, वकीला बानों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद विधि एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। आवेदन के समय आवेदिका द्वारा विकलांगता का कॉलम नहीं भरा गया था, परन्तु आम सभा के समय वह अपने आपको दिव्यांग बताने लगी। आम सभा में ही आवेदिका द्वारा जब शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखया गया था तो दो अलग–अलग जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होने के कारण विरोधाभाष उत्पन्न हो गया। हंगामा होने के कारण आम सभा स्थगित कर दिया गया तथा पुनः दिनांक–09.06.2020 को आयोजित आम सभा में आवेदिका के कई प्रकार के विसंगतियों के कारण वह स्वयं आम सभा में उपस्थित नहीं थी तथा विपक्षी सं0–04 वकीला बानों को योग्य पाते हुए चयन किया गया। आवेदिका द्वारा इन पर लगाया गया सारा आरोप आधारहीन, गैर कानूनी तथा तथ्य से परे है। विपक्षी जब फोकनिया की परीक्षा में सम्मिलित हुई तो एक भी दिन अपनी उपस्थिति सहायिका के पद पर दर्ज नहीं की। आवेदन के समय सभी प्रमाण पत्रों के साथ अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्रों को भी अपलोड की, जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी विधवा थी। आवेदिका द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि उनका जन्म तिथि दो अलग–अलग बोर्ड में भिन्न है। जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से बिलकुल सही है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदिका के पुनरीक्षण क्रमशः वाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–1481, दिनांक–06.12.2021 के माध्यम से समर्पित मंतव्य प्रतिवेदन में अंकित किया है कि विभागीय मार्गदर्शिका 2019 की कंडिका 9 के आलोक में विधवा एवं दिव्यांग मेधा अंक के प्रतिशत में 5 अंक	
	लगातार 18.04.2023		

Web Copy. Not Official.

जोड़कर मेधा अंक की गणना की जाती है, परन्तु कहकसां बेगम द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिव्यांग के कॉलम में नहीं भरा गया और न ही विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। साथ ही कहकसां बेगम का दो भिन्न जन्म तिथि भी पाया गया है। इस प्रकार वाद सं0–05/2020–21 में पारित आदेश को नियमानुकूल बताया गया है।

उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका कहकसां बेगम द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिव्यांग के कॉलम को नहीं भरा गया और न ही विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया, जिस कारण उन्हें विकलांगता का लाभ नहीं दिया गया। विपक्षी सं0–04 वकीला बानों सहायिका पद पर कार्यरत रहने के दौरान फोकनिया की परीक्षा में शामिल हुई तथा उच्चतर योग्यता प्राप्त की, परन्तु केवल उच्चतर योग्यता के आधार पर ही इनका चयन सेविका पद पर नहीं किया गया है बल्कि सेविका चयन की सभी प्रक्रिया को अपना कर विधिवत चयन किया गया है। इस प्रकार विपक्षी सं0–04 वकीला बानों का सहायिका से सेविका में प्रोन्नति नहीं बल्कि रिक्त पद के विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर की गयी नव नियुक्ति है। इसलिए निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार आवेदिका के पुनरीक्षण वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

Web Copy. Not Official.